भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2957

दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

करवांडिया में खनन को पुनः शुरू करना

†2957. श्री राजा राम सिंहः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोहतास जिला प्रशासन ने लंबे समय से बंद खनन कार्यकलापों को पुनः शुरू करने के लिए करवांडिया खनन क्षेत्र का आकलन शुरू कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कृषि भूमि, भू-जल, वनों और स्थानीय निवासियों, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर समुदायों की आजीविका पर खनन को पुनः शुरू करने पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किसी सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि स्थानीय कामगारों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, श्रमिकों के ठेके में वृद्धि करने के बजाय सांविधिक मजदूरी की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा लाभ और सुरक्षित कार्य दशाएं दी जाएं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या नए सिरे से खनन कार्यों से विस्थापित होने अथवा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए कोई पुनर्वास और मुआवजा पैकेज तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना मुआवजा दिया गया है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख): राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 की धारा 10ख और 11 के तहत प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने और खनिज रियायतें देने का अधिकार

दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खनिज रियायत प्रदान करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उप-विभागीय समिति ने खनन पट्टे प्रदान करने के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में रोहतास जिले के करवांडिया खनन बेल्ट में लगभग 521 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की है। खनन पट्टाधारक वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के लागू प्रावधानों के तहत वन मंजूरी सहित सभी अनिवार्य कानूनी मंजूरियां तथा पर्यावरण मंजूरी सहित अन्य लागू वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करने के बाद ही खनन कार्य शुरू कर सकता है।

(ग): बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्थानीय व्यक्तियों के रोजगार, कानूनी वेतन के भुगतान, सामाजिक सुरक्षा लाभ, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा एवं अन्य कानूनी अनुपालन से संबंधित मुद्दे लागू श्रम संहिताओं द्वारा शासित होते हैं। सफल पट्टेदार/परियोजना प्रस्तावक को श्रम संहिताओं के लागू प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

(घ): बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में कोई पुनर्वास और मुआवजा पैकेज विद्यमान नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी खनन परियोजना में संचालन शुरू नहीं किया गया है।
